

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं०– 106 / 2026
आदेश

04.04.2026

आवेदक अभियुक्त सिक्कु कुमार उर्फ बिककु कुमार की ओर से एक दिनांक 10.03.2026 को एक आवेदन दाखिल किया गया है तथा आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार सिन्हा के द्वारा आवेदन को संचालित करते हुए यह कहा गया है कि आवेदक अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.03.2026 को आत्मसमर्पण कर दिया है तथा अपना जमानत करा चुका है। इस कारण उन्होंने आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लिए जाने की प्रार्थना की है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को दी गई है। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के आवेदन का विरोध नहीं किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन में आवेदक अभियुक्त सिक्कु कुमार उर्फ बिककु कुमार ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है तथा अपना जमानत करा चुका है। इस कारण आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर आवेदक अभियुक्त सिक्कु कुमार उर्फ बिककु कुमार के अग्रिम जमानत आवेदन को वापसी के आधार पर **निस्तारित** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।